an>

Title: Need to restore work in Central State Farm, Girijapuri, Bahraich, Madhya Pradesh.

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच): सभापति जी, मैं बहराइच, उत्तर प्रदेश से सांसद हूं। एक अहम मुद्दे पर आज मैं बात कर रहा हूं, जो वहां स्टेट फार्म का एक गिरिजापुरी फार्म है, उसे बगुलहिया फार्म के नाम से जाना जाता है, जहां गरीबों की बहुत दुर्दशा हो रही है। मैं उस सबजैक्ट पर आपसे बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत वह कृषि फार्म अवस्थित है।

यह फार्म सैण्ट्रल स्टेट फार्म कारपोरेशन लिमिटेड, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है। देश में खाद्यान्नों की कमी के गम्भीर संकट को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री कमलापति त्रिपाठी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बीज उत्पादन फार्म खोलने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड को वर्ष 1973-74 में 9622.50 एकड़ वन भूमि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में उपलब्ध कराई गई। चूंकि उक्त भूमि कृषियोग्य नहीं थी, अतः निगम द्वारा काफी धनराशि व्यय करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया। इस फार्म में आम, लीची, अमरूद तथा अन्य विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन करके देश तथा विदेश में भेजा जाता था।

इसके अतिरिक्त फार्म में धान, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, राजमा, मूंग, मसूर, सरसों, मटर, लाही इत्यादि फसलों के उन्नतशील किस्म के बीज उत्पादित किये जाते थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में को-ऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाता था। इस फार्म से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को कृषि कार्य हेतु रोजगार मिलता था। इस इलाके में कोई उद्योग न होने से तथा जंगल से घिरा इलाका होने के कारण व प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलने से इस इलाके के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में गरीब वर्ग के सवर्ण, पिछड़ी जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग निवास करते हैं, जो कि आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हैं।

वन विभाग द्वारा इस फार्म में चल रहे कृषि कार्यों में अवरोध उत्पन्न किया जाने लगा, जिससे फार्म द्वारा फरवरी, 1998 में एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश की लखनऊ बैंच में दायर की गई, जहां से स्थायी रूप से एक स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। इसके बाद वन विभाग द्वारा अखबारों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके जनता को रोका जाने लगा कि वे फार्म से कोई भी लेन-देन न करें। वन विभाग द्वारा सैण्ट्रल स्टेट फार्म के उत्पादों की खरीद-फरोख्त तथा नीलामी पर भी रोक लगा दी गई।

इससे निगम में कृषि कार्यों में बाधा होने लगी। वन विभाग के इस रवैये से परेशान होकर निगम द्वारा इस फार्म को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। फार्म में कृषि उत्पादों को उत्पादित करने की आवश्यकता जनहित में है। वन विभाग द्वारा आरोप लगाया जाता है कि फार्म के लोग चीता, बाघ और भालू को मारते हैं, जबकि यह बात सही नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मामले पर विचार करके सेंट्रल स्टेट फार्म गिरिजापुरी, बगुलहिया, बहराइच को बंद करने के आदेश को वापस लेकर, पुनः कृषि कार्य प्रारंभ करने का आदेश देने की कृपा करें। इसके साथ ही एक और आदेश देने की कृपा करें कि जो वन विभाग का एरिया उनके इलाके में कवर करता है, उसको फेंसिंग कराया जाए, जिससे फार्म भी सुरक्षित रहे और वहां के लोग, जो वहां घनी आबादी है, सुरक्षित रह सके। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए।

â€¦(व्यवधान)